

59 फरवरी 2021
5/1/2021

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा(ग्रुप-3)विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222/ 5153223/ 5153660 (आई.पी.ए. 24870)

क्रमांक प. 1(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक 5 JAN 2021

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियम-26 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को स्नातक प्राचार्य/उप निदेशक से स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक(Pay Matrix AL-14) के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री पाताराम चौधरी	सामान्य	01.09.57	01.06.17	चयन सूची में इनका नाम श्री हरिप्रसाद शर्मा (सामान्य) के नीचे आयेगा।
2	श्रीमती अनुराधा शर्मा	सामान्य	06.07.59	01.07.17	चयन सूची में इनका नाम श्री लोकरेश कुमार भट्ट (सामान्य) के नीचे आयेगा।
3	श्रीमती मंजू देवी गोयल(बंसल)	सामान्य	17.08.61	01.08.17	चयन सूची में इनका नाम श्रीमती कान्ता कामरा(सामान्य) के नीचे आयेगा।
4	श्रीमती इन्दू सक्सेना	सामान्य	30.09.57	01.09.17	चयन सूची में इनका नाम श्री कमलकांत शर्मा (सामान्य) के नीचे आयेगा।

श्री रामदास मीणा के संबंधित वर्षों का सेवाभिलेख(वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम यथावत आस्थगित(Defer) रखा जाता है।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पदोन्नति का परिणाम उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से काल्पनिक एवं सेवानिवृत्ति तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा तथा शेष अधिकारियों को पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से कार्यरत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1()पीएस/आकाशि/20/244 -10-

दिनांक: 05.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य/अधिकारी।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. आर. सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक(एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।